कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0–मरार, जिला–रामगढ़ पिन–829117)

Email id – dfo-ramgarh@gov.in

पत्रांकः– 2111 दिनांकः– 30/12/2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
बोकारो।

विषय :– सी0सी0एल0 की परेज पूर्वी खुली खदान परियोजना 101.00 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– भवदीय का पत्रांक– 492 दिनांक 18.05.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना अन्तर्गत की गई पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन में की गई पृच्छा के आलोक में सूचित किया है कि

1. यह प्रस्ताव 101.00 हे0 वन भूमि अपयोजन हेतु प्रेषित् है, जिसमें से 2.71 हे0 वन भूमि एवं 98.29 हे0 GM(JJ) भूमि है।
2. 2.71 हे0 वन भूमि में से 1.57 हे0 वन भूमि वर्ष 1980 के पूर्व खंडित किया जा चुका है। यह वन भूमि ग्राम–डुरूकसमार के खाता संख्या– 61, खेसरा सं0–314 रकबा– 6.20 एकड़ तथा खेसरा सं0– 326 रकबा– 0.50 एकड़ कुल रकबा– 6.70 एकड़ अर्थात 2.71 हे0 है। यह वन भूमि वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी प्रमंडल द्वारा सी.सी.एल. को 1980 से पूर्व हस्तांतरित किया गया था। (वन भूमि का मानचित्र संलग्न)
3. 98.29 हे0 GM(JJ) में से 55.20 हे0 भू–खंड वर्ष 1996 के पहले से ही खंडित है। जिसके लिए NPV के रूप में DFO Ramgarh Division के Demand Letter No-1046 dt. 14-05-2016 के तहत 3,53,00,140 (तीन करोड़ तिरपन लाख एक सौ चालिस रूपये) आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कैम्पा लेखा खाता में जमा किया जा चुका है। (छाया प्रति संलग्न)
4. वर्तमान में 1.14 हे0 अधिसूचित वन भूमि तथा 43.09 हे0 GMJJ भूमि यथावस्था में है।

अतः उपरोक्त अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ।

D:\Mukesh Mishra\Shashi Dubey\FC Act\FC Act Misc. Letter-2021.Docx